क्रम संख्या–042 (क)

पंजीकृत संख्या–डी0एन0/आर0ओ0–181/2001
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2001 ई0
चैत्र 16, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त

संख्या 110–122/सात–लाइसेंस/बार–नीति/2001–2002
देहरादून, 06 अप्रैल, 2001

सा0 प0 नि0–011

होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन (एफ0एल0–6 सम्मिश्र, एफ0एल0–7) के सृजन/पुनर्व्यवस्थापन के सम्बन्ध में अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य के शारानादेश संख्या 3339 ई–2/तेरह–413/87, दिनांक 20 जनवरी 1988 में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति की अनुशंसायें प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त समिति द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर होटल विशेष की उपयुक्तता के परीक्षणोपरान्त दी गयी संस्तुतियों पर शासन का अनुमोदन मिलने के बाद अनुज्ञापन व्यवस्थापित किया जाता रहा है।

उत्तरांचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश से परिस्थितियां बदली हुई हैं। जिला चयन समिति में पूर्व में उप आबकारी आयुक्त प्रभार भी सदस्य के रूप में होते थे। वर्तमान में उत्तरांचल में उप आबकारी आयुक्त प्रभार के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं है अतः बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए होटल एवं बार रेस्टोरेन्ट अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अब निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :

1. शासन स्तर पर चार व पांच तारा श्रेणी के होटल/रेस्टोरेन्ट अथवा उच्च श्रेणी के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त शेष होटल/रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन विशेष पर जांचोपरान्त की गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांचोपरान्त अपनी संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी तथा आबकारी आयुक्त/शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

3. (1) अनुज्ञापनों के संस्तुति के समय आबकारी नियमों के अनुसार होटल/रेस्टोरेन्ट की स्थिति, जिसके लिए बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो अनुरूप है या नहीं अवश्य देख लिया जाय। इसके साथ-साथ यह भी देख लिया जाय कि होटल/रेस्टोरेन्ट में गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान है या नहीं।
(2) बार/रेस्टोरेन्ट में कम से कम 20 ग्राहकों के एक साथ बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
(3) रेस्टोरेन्ट में बार कक्ष व फेमिली कक्ष अलग-अलग उपलब्ध हों।
(4) बार में मदिरा की किस्मों के प्रदर्शन के लिए शो केस की व्यवस्था हों।
(5) पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग टायलेट की व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट में हो।
(6) पर्यटन/शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से बार/रेस्टोरेन्ट को बॉर अनुज्ञापन दिये जाने की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी आख्या दी जाय।
(7) बार अनुज्ञापन दिये जाने से क्या निकटवर्ती विदेशी मदिरा/देशी मदिरा की दुकानों के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सम्बन्ध में भी सम्यक विचार किया जाय।
(8) प्रस्तावित होटल/बार अनुज्ञापन के सन्निकट कोई अन्य होटल अथवा बार अनुज्ञापन है अथवा नहीं।
(9) बार अनुज्ञापनों की संस्तुति के सम्बन्ध में विचार करते समय अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखने के साथ-साथ स्थान की उपयुक्तता, पात्रता, स्तर, भोजन का स्तर, स्थिति के बारे में विशेष ध्यान दिया जाय तथा होटल/रेस्टोरेन्ट का टर्न ओवर एवं आवेदक अनुज्ञापी का पूर्ववृत्त एवं ख्याति भी देखी जाय।

4. (1) एफ0एल0-6ए समिश्र अनुज्ञापन के लिये अनुज्ञापन शुल्क 5,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए देय होगी।
(2) एफ0एल0-6 (समिश्र) एवं एफ0एल0-7 अनुज्ञापनों के लिए अनुज्ञापन शुल्क 2,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए देय होगी।

5. (1) उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश परमिट फार पजेशन आफ फारेन लीकर बाई क्लब रूल्स, 1980 यथा संशोधित के अन्तर्गत ही अनुज्ञापन शुल्क की वसूली अग्रिम रूप से निम्नानुसार की जायेगी :-

(i) ऐसे क्लब जिनमें सदस्यों की संख्या 100 तक हो	रु0 55,000/- प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए
(ii) ऐसे क्लब जिनमें सदस्यों की संख्या 100 से अधिक एवं 500 तक हो	रु0 82,500/- प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए
(iii) ऐसे क्लब जिनमें सदस्यों की संख्या 501 या उससे अधिक हो	रु0 1,10,000/- प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए

(2) प्रत्येक परमिट धारक के लिए सिक्योरिटी पूर्व में नियमानुसार यथावत अर्थात 2,000/- रुपया नकद राजकोष में जमा करायी जायेगी जो कि आबकारी नियमों, अधिनियमों के प्राविधानों एवं परमिट की शर्तों के अनुपालन हेतु होगी।
(3) एफ0एल0-7(सी) क्लब बार परमिट जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
(4) शेष प्राविधान व नियम यथावत लागू रहेंगे।

बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में कार्यरत अनुज्ञापनों को जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति, जिसमें विदेशी मदिरा की बिक्री व परोसे जाने के परिसार का प्रमाणित नीलपत्र गत वित्तीय वर्ष की बिक्री का विवरण आदि बिन्दुओं पर विस्तृत स्पष्ट आख्या भी सम्मिलित हो, के साथ जिलाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी और नवीनीकरण आयुक्तालय से किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(सुभाष कुमार)
सचिव / आयुक्त,
आबकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 आबकारी / 299–2001–25 (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।